अलग-अलग होती है, तथापि किसी विशेष वित्तीय वर्ष में प्रयोग न की गयी ऋण राशि सामान्यतः व्यपगत नहीं होती और वह उत्तर वर्षों में उपयोग के लिये आगे ले जाई जाती है।

बैंकों को बट्टे खाते में डाले गये ऋणों के लिये वित्तीय सहायता दिया जाना

879. **श्री वीरेन जे० शाह :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुलाई, 1991 से जुलाई, 1992 की अवधि के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के संबंध में दी गई रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि इन बैंकों द्वारा, 10,000 करोड़ रुपये की राशि बट्टे-खाते में डालने के लिये वित्तीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन बैंकों द्वारा एक बड़ी राशि बट्टे खाते में डाली जा चुकी है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने धनराशि को बट्टे खाते में डालने के लिये अपनाई गई प्रक्रिया के अन्तर्गत लिये गये निर्णयों पर पुनर्विचार करने के लिये किसी जांच समिति की नियुक्ति की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्यों का आशय वर्ष 1990 में भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना से है जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चुने हुये वर्गों के उधारकर्ताओं को अधिकतम 10,000/- रु० प्रति उधारकर्ता, ऋण राहत प्रदान करने के लिये थी। सरकारी बैंकों के उधारकर्ताओं के लिये भी केन्द्रीय योजना के आधार पर राज्य सरकारों ने उसी प्रकार की योजनायें तैयार की थीं। 1-2-1993 की स्थिति के अनुसार, योजना के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा 2800/- करोड़ रु० की कुल ऋण राहत प्रदान की गयी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना दिनांक 31-3-1991 को समाप्त हो गई है।

विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान

880. **श्री सोम पाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश पर बकाया कुल विदेशी ऋण कितना है ;

(ख) ब्याज के रूप में प्रति-वर्ष कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने ब्याज का भुगतान करने के लिये और अधिक ऋण प्राप्त किया है अथवा प्राप्त करने का प्रयास कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) नवीकरण उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत का कुल विदेशी ऋण, जिसमें अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों और अल्पावधि ऋण भी शामिल हैं, 726720 लाख अमेरिकी डालर होने है और 30 सितम्बर, 1992 तक की स्थिति के अनुसार सिविलियन रूबल ऋण 9780 लाख रूबल होने का अनुमान है।

इसके अलावा, 31 मार्च, 1992 को स्थिति के अनुसार जी०सी०ए० और रूबल रक्षा ऋण क्रमशः 21760 लाख अमेरिकी डालर और 88990 लाख रूबल था । इसके बाद की अवधि की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस अवधि के लिये लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) वर्ष 1992–93 के दौरान बकाया ऋण पर देय ब्याज की कुल राशि 7356 करोड़ रुपये होने का अनुमान है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Structure of the proposed NRBI

881. SHRI MOHAMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether is it a fact that RBI/Government propose to establish the National Rural Bank of India shortly in the national interest;

(b) what is the number of Regional Rural Banks which are under operation currently and what is the number of employees on their pay rolls; and

(c) whether 'National Rural Bank of India' would be more or less on the lines of State Bank of India's administering structure, entrusting the powers of control and supervision to 'NABARD"?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (c) Government have initiated a process of consultation for restructuring of the Regional Rural Banks (RRBs). A number of models have been worked out and effectiveness of each is being examined from all angles. This also includes the proposal for establishment of a National Rural Bank of India (NRBI) with a view to improve the rural banking system and increase the flow of credit to rural sector. However, no final decision has so far been taken in this regard.

(b) There are 196 RRBs with 14539 branches operating in the country and employing a total staff of 70294 as at the end of March, 1992.

Relaxation granted on imported goods

882. SHRI VIREN J. SHAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of facilities allowed by Government recently to the visiting tourists, NRIs and others;

(b) on what terms and conditions NRIs and others have been allowed to bring imported goods with them on their visit to India;

(c) whether Government have decided to delegate the power of extension of the period upto six months to the visiting NRIs and other by the Assistant Collectors of the Airports themselves; and

(d) if so, what are the detail in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASEKHAR MURTHY): (a) and (b) The following facilities have been allowed by the Government recently to visiting tourists, NRIs and others;

The effective rate of customs duty on any item imported by incoming passengers as baggage has been reduced to 15 per cent ad valorem from the previous rate 255 per cent ad valorem. However, television sets would be leviable to addition duties equal to the excise duty at the appropriate rate.

A person who was engaged in his profession abroad for over six months will now be entitled to import, free of duty, such portable equipments, instruments,